

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,

चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001202009

दांडिक प्रकरण क.-418/09

संस्थापित दिनांक-30.12.09

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

01-कल्लू पिता धनसिंह लोधी आयु 39 वर्ष निवासी हिरावल।

02-फूलचंद (मृत) पिता धनसिंह लोधी आयु 55 वर्ष निवासी हिरावल।

03-बल्लू पिता गजराज सिंह लोधी आयु 28 वर्ष निवासी हिरावल।

04-चंद्रभान पिता करनसिंह लोधी आयु 25 वर्ष निवासी सकवारा।

05-मारन सिंह पिता बुद्धे लोधी आयु 32 वर्ष निवासी हिरावल।

06-जाहर सिंह पिता गनपत लोधी आयु 50 वर्ष निवासी सकवारा।

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री पठान अधिवक्ता।

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 27.05.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 379 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी आत्माराम चौबे ने दिनांक 24.07.09 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि राजघाट नहर किनारे वृक्षारोपण क्षेत्र की 5 कि.मी. लंबाई में कांटेदार तार एंगल की फेंसिंग की गई थी जिस पर उस समय चरन सिंह पुत्र सीताराम लोधी विकास दल सदस्य, सुरक्षा का कार्य कर रहा था। दिनांक 24.07.09 को चरण सिंह ने बताया कि नहर साइड से जो पूर्व में तार चोरी हुआ था वह उक्त आरोपीगण के खेतों पर लगा था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 231/09 के अंतर्गत भादवि की धारा 379 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 379 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने माह मार्च 2009 में राजघाट नहर किनारे कांटेदार इंगल की फेंसिंग के तार जो कि वृक्षारोपण क्षेत्र की पांच कि.मी. लंबाई की फेंसिंग की गई थी जिसका कि सुरक्षा का कार्य चरण सिंह लोधी कर रहा था उक्त तार को बेईमानीपूर्वक आशय से चुराकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 महेंद्र कुमार पुरोहित, अ.सा. 02 दीपचंद्र, अ.सा. 03 शिवमंगल सिंह सेंगर, अ.सा. 04 आत्माराम चौबे, अ.सा. 05 रतन सिंह, अ.सा. 06 विवेककांत भार्गव, अ.सा. 07 चरण सिंह, अ.सा. 08 देवराज सिंह, अ.सा. 09 विजय बुंदेला की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 04 आत्माराम चौबे ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 24.07.09 को चंदेरी में था तथा उनके चौकीदार ने बताया कि उनके विभाग का कटीला तार जो प्लांटेशन के लिए लगा था, चोरी हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार तार लगभग 4 क्विंटल था जिसकी कीमत लगभग 9000 रुपये थी जिसके संबंध में उन्होंने प्रपी 01 आवेदन नगर निरीक्षक को दिया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार रिपोर्ट प्रपी 16 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा प्रपी 17 के नक्शामौका की कार्यवाही पुलिस ने की थी एवं शिनाख्तगी मैमो प्रपी 18 के ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 01 के आवेदन के तीन-चार माह पूर्व तार चोरी गए थे तथा उसके अनुसार उसने आरोपीगण के नाम चरणसिंह के कहने पर लिखाए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट का सी से सी भाग पुलिस के कहने से दिया था। अ.सा. 01 महेंद्र कुमार ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण को नहीं जानता। उक्त

साक्षी के अनुसार उसे वन रक्षक आत्माराम द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था जिसमें फैंसिंग के तार चोरी हो जाने का उल्लेख था। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 01 का आवेदन उसे दिया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जैसा आवेदन प्राप्त हुआ था उसने उसे वैसा ही मार्क करके अग्रेषित कर दिया था। अ.सा. 03 शिवमंगल सिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसे प्रपी 01 का आवेदन प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर उसने प्रपी 16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

08— अ.सा. 02 दीपचंद ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 02 के अनुसार उसके समक्ष जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि प्रपी 06 लगायत प्रपी 10 के अनुसार कटीला तार जप्त किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने प्रपी 11 लगायत प्रपी 15 का ए से ए भाग का मेमोरेंडम दिया था। अ.सा. 05 रतनसिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने कोई लिखापट्टी नहीं हुई। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी चंद्रभान के घर से प्रपी 09 के अनुसार कटीला तार जप्त हुआ था। उक्त साक्षी ने प्रपी 14 का मेमोरेंडम उसके समक्ष आरोपी द्वारा दिए जाने से मना किया है। अ.सा. 08 देवराज सिंह ने भी उसके समक्ष आरोपीगण से जप्ती होने एवं आरोपीगण की गिरफ्तारी होने से इंकार किया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने आरोपी बल्लू से फैंसिंग वाला तार जप्त किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम कथन दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस वालों ने उससे थाने में हस्ताक्षर कराए थे।

09— अ.सा. 07 चरण सिंह ने अपने कथन में बताया है कि घटना के समय वह वन विभाग में राजघाट नहर किनारे सकवारा-हिरावल के बीच चौकीदारी करता था तथा

वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु लगे तार चोरी हो गए थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने तार देखे हैं। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन भी देने से इंकार किया है। अ.सा. 06 विवेककांत भार्गव द्वारा अपने कथन में बताया है कि उसने दिनांक 29.12.09 को पहचान पंचनामा प्रपी 18 के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को वन विभाग के कर्मचारी आए थे जिन्होंने कटीले तार के बंडल बताए थे। उक्त साक्षी के अनुसार वन विभाग वालों ने कहा था कि तारों की पुष्टि आप करे दें, जो उसने कर दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार वन विभाग वाले तार लाए थे और उन्होंने कहा था कि यह चोरी का है। अ.सा. 09 विजय बुंदेला जो कि मामले का विवेचक है उसके अनुसार उसके द्वारा प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 17 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण को प्रपी 02 लगायत प्रपी 05 के अनुसार गिरफ्तार किया था। अ.सा. 09 के अनुसार उसने कटीले तार प्रपी 06 लगायत प्रपी 10 के अनुसार जप्त किए थे तथा मेमोरेंडम कथन प्रपी 21 तैयार किया था एवं शिनाख्तगी की कार्यवाही कराई थी।

10— अभियोजन ने जो उपरोक्त साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 04 फरियादी के अनुसार उसने चौकीदार के कहने पर आरोपीगण का नाम प्रपी 01 में लेखबद्ध किया था। उक्त साक्षी तथा अ.सा. 01 द्वारा मात्र आवेदन पत्र थाना चंदेरी में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जप्ती पत्रक प्रपी 06 लगायत प्रपी 10 के साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए हैं। इसी प्रकार मेमोरेंडम प्रपी 11 लगायत प्रपी 14 के भी साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए हैं। जप्ती पत्रक एवं साक्ष्य विधान की धारा 27 के मेमोरेंडम के कथन अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रहे हैं। अ.सा. 06 जिसके द्वारा प्रकरण में शिनाख्तगी की कार्यवाही की गई उसकी साक्ष्य से भी शिनाख्तगी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हो रही। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 06 के अनुसार वन विभाग वाले स्वयं जप्तशुदा तार लेकर आए थे। इस प्रकार फरियादी पक्ष द्वारा स्वयं शिनाख्तगी कराया जाना प्रकट हो रहा है, जबकि यह आवश्यक था कि शिनाख्तगी की कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले के विवेचक द्वारा

करायी जाती, इस प्रकार शिनाख्तगी पंचनामा प्रपी 18 की कार्यवाही दोषपूर्ण होना दर्शित हो रही है।

11— उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि प्रकरण में धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामे की कार्यवाही प्रमाणित होती, किंतु प्रकरण में धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामे की कार्यवाही प्रकरण में प्रमाणित नहीं है। उल्लेखनीय है कि मामले के फरियादी अ.सा. 04 ने स्वयं अपने कथन में बताया है कि उसने चौकीदार के कहने पर आरोपीगण के नाम अपने आवेदन पत्र में लेखबद्ध किए थे। मात्र उक्त आवेदन पत्र में नाम उल्लेखित होने तथा अ.सा. 09 विवेचक की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। समीचीन प्रतीत नहीं होता। यह आवश्यक था कि विवेचक की साक्ष्य की न केवल संपुष्टि होती, बल्कि प्रकरण में चोरी गए तार आरोपीगण से जप्त होना प्रमाणित होते। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा उक्त घटना दिनांक को फैंसिंग के तारों की चोरी कारित की गई।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा लगभग तीन बंडल फैंसिंग वाला कटीला तार कीमती करीबन 12000 रुपये मुताबिक जप्ती पत्रक अनुसार पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के

निर्देशों का पालन हो।

15— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल)
व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी